

Office of the Comptroller & Auditor General of India



CITIZENS' CHARTER (Draft)



December 2019

Comments or suggestions on draft Citizens' Charter may please be sent to dgsmu@cag.gov.in

&

sao1smu@cag.gov.in

Citizens' Charter (Draft)

Office of the Comptroller and Auditor General of India 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110124

Vision

The vision of SAI India represents what we aspire to become: We strive to be a global leader and initiator of national and international best practices in public sector auditing and accounting and recognised for independent, credible, balanced and timely reporting on public finance and governance.

Mission

Our mission enunciates our current role and describes what we are doing today: Mandated by the Constitution of India, we promote accountability, transparency and good governance through high quality auditing and accounting and provide independent assurance to our stakeholders - the Legislature, the Executive and the Public - that public funds are being used efficiently and for the intended purposes.

1. Placing of the Annual Finance and Appropriation Accounts and the Audit Reports of the CAG on the website of the CAG

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Dissemination of the Finance and Appropriation Accounts of the States and Audit reports of the CAG through the website of the CAG	Average time taken from the date of tabling of Accounts and Reports in the Parliament or the State Legislature as the case may be, to the date of uploading the same on the website of the CAG	2 working days from the date of tabling in Parliament/State Legislature

2. Supplementary Audit of Accounts of Government Companies

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Empanelment of Chartered Accountants	(a) Average time taken to upload provisional panel on CAG website, from the last date for submission of online applications by Firms/LLPs	(a) Second week of April every year(b) Fourth week of July every year

Grievance Redressal: Grievances with regard to provisional empanelment, if any, may be sent through email to sao2ca5@cag.gov.in during the period of hosting of the provisional panel on CAG website. Grievances with regard to final empanelment hosted on CAG website may be addressed to Director General (Commercial), Office of the C&AG of India, 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi 110124.

3. Pensionary Benefits

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Issue of Pension Payment Orders	Average time taken for issue of Pension Payment Order, from the date of receipt of pension papers along with service books from the respective Drawing and Disbursing Office (DDO)	30 working days from the date of receipt of pension papers complete in all respects
2	Finalization of revision of pension cases	Average time taken for finalization of pension revision cases, from the date of receipt of pension papers along with service books from the respective DDO	45 working days from the date of receipt of pension papers complete in all respects

3	Re-authorisation of Pension Payment Orders in cases requiring changes in details (name of family pensioner, etc.)	Average time taken for revision of Pension Payment Orders, from the date of receipt of application from the respective DDO	15 working days from the date of receipt of application complete in all respects
4	Request for additional information/ documents, if application is incomplete	Average time taken to scrutinise application on its receipt	5 working days from the date of receipt of application
5	Attending to Complaints	Online registration of complaints can be done through Online Grievance Redressal System of respective AG offices. Offline registration of complaints can be done through Grievance redressal cells in AG offices and through post.	30 working days from the date of receipt of the complaint (both online and offline)

4. Provident Fund Dues

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Issue of orders for final withdrawal	Average time taken for issue of orders for final withdrawal, from the date of receipt of application from the respective DDO	20 working days from the date of receipt of application complete in all respects
2	Issue of annual statements to the GPF subscribers	Issuing GPF statements by 31 July of every year	31 July following the end of the financial year, on receipt of complete information/ schedule from State's Accounts Rendering Units
3	Request for additional information/ documents, if application is incomplete	Average time taken to scrutinise application on its receipt	5 working days from the date of receipt of application

4	Attending to	Online registration of complaints	30 working days
	Complaints	can be done through Online	from the date of
		Grievance Redress System of	receipt of the
		respective AG offices. Offline	complaint (both
		registration of complaints can be	online and offline)
		done through Grievance redressal	
		cells in AG offices and through	
		post.	

5. Gazetted Entitlement Functions

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Issue of Pay Slips	Average time taken for issue of Pay Slips from the date of receipt of application from the respective DDO	20 working days from the date of receipt of application
2	Issue of history of Service Sheets	Average time taken for issue of History of Service Sheet from the date of receipt of application from the respective DDO	30 working days from the date of receipt of application
3	Request for additional information/ documents, if application is incomplete	Average time taken to scrutinise application on its receipt	5 working days from the date of receipt of application
4	Attending to Complaints	Online registration of complaints can be done through Online Grievance Redress System of respective AG offices. Offline registration of complaints can be done through Grievance redressal cells in AG offices and through post.	30 working days from the date of receipt of the complaint

Grievance Redressal (Items 1, 2 and 3): A link has been made available at https://cag.gov.in/content/entitlement in the CAG website to provide State-wise Grievance Redressal Mechanism for any type of entitlement related grievances. If not satisfied with the response or non-receipt of response, the subscribers may contact the Deputy Accountant General (Fund/Pension) of the Accountant General's office concerned. For further resolution, subscribers may send email to the Senior Administrative Officer (Complaint) in CAG's office at grstate2@cag.gov.in.

6. Performance Report of the Indian Audit and Accounts Department

SN	Our Services	How we measure our performance	Our Timelines
1	Performance Report of the Indian Audit & Accounts Department	A performance report giving an overview of the functioning and significant activities of the department is published every year for the benefit of our stakeholders, including legislators, executives, academia, and members of the public	6-9 months from the close of the financial year

If service is not rendered as per the timelines:

- 1. Inform/write to Ms. Vidhu Sood, Principal Director (SMU), Office of the C&AG, 9, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi 110124; Phone: 23236827; dgsmu@cag.gov.in
- 2. Send email to Strategic Management Unit of the Office of the C&AG, New Delhi at sao1smu@cag.gov.in

Central Public Information Officer

Senior Deputy Accountant General/Deputy Accountant General/Director/Deputy Director, incharge of Administration in each of the offices of Principal Accountant General/Accountant General/Director General of Audit/Principal Director of Audit/Director of Audit that functions as an independent Public Authority is designated as PIO, and the Head of the office in these offices in the rank of Director General/Principal Accountant General/Accountant General/Principal Director is designated as Appellate Authority under the RTI Act.

For further information/clarifications contact:

Ms. A. Fani Rao

Dy. Director (Legal) and Central Public Information Officer (Headquarters)

Office of the Comptroller and Auditor General of India

9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi 110124

Phone: 91-11-23509222 Fax: 91-11-23239335 Email: raof@cag.gov.in

> Comments or suggestions on draft Citizens' Charter may please be sent to dgsmu@cag.gov.in

> > &

sao1smu@cag.gov.in



भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय



सिटिजन चार्टर (ड्राफ्ट)



दिसम्बर 2019

सिटिजन चार्टर के मसौदे पर टिप्पणियाँ या सुझाव कृपया निम्नलिखित पर भेजे dgsmu@cag.gov.in

और

sao1smu@cag.gov.in

सिटिजन चार्टर (ड्राफ्ट)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124

दुरदृष्टि

साई का दृष्टिक्षेत्र यह दर्शाता है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं; हम सार्वभौम लीडर बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों के आरंभकर्ता और लोक वित्त और अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने के लिए प्रयास करते हैं।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवता लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को उन्नत करते हैं और अपने पणधारियों-विधानमंडल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से और अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है।

1. वार्षिक वित्त और विनियोग लेखों और सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सीएजी की वेबसाइट पर डालना

क्रम सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने निष्पादन का मापन कैसे करते है	हमारी समय सीमाएं
1	सीएजी की वेबसाइट	संसद या राज्य विधान मंडल	संसद/राज्य विधान
	के माध्यम से राज्य	में, जैसा भी मामला हो, लेखों	मंडल में प्रस्तुतिकरण
	के वित्त और	और प्रतिवेदनों के	की तिथि से 2
	विनियोग लेखों और	प्रस्तुतिकरण की तिथि से	कार्यकारी दिवस
	सीएजी के	सीएजी की वेबसाइट पर उसे	
	लेखापरीक्षा	अपलोड करने की तिथि तक	
	प्रतिवेदनों का प्रसार	लिया गया औसत समय	

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

क्रम सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने निष्पादन का मापन कैसे करते है	हमारी समय सीमाएं
1	सनदी लेखाकारों का मनोनयन	क. फर्म/एलएलपी द्वारा आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि से सीएजी की वेबसाइट पर अनंतिम पैनल को अपलोड करने में लिया गया औसत समय	क. प्रत्येक वर्ष अप्रैल का दूसरा सप्ताह ख. प्रत्येक वर्ष जुलाई का चौथा सप्ताह
		वेबसाइट पर अंतिम पैनल अपलोड करने में लिया गया औसत समय	

शिकायत समाधान : अनंतिम मनोनयन से संबंधित शिकायत, यदि कोई हो, सीएजी की वेबसाइट पर अनंतिम पैनल की होस्टिंग अविध के दौरान sao2ca5@cag.gov.in को ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है। सीएजी की वेबसाइट पर डाले गए अंतिम मनोनयन से संबंधित शिकायत महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110124 को भेजी जा सकती है।

3. पेंशन संबंधी लाभ

क्रम सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने निष्पादन का मापन कैसे करते है	हमारी समय सीमाएं
1	पेंशन भुगतान आदेश जारी करना	संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) से सेवा पुस्तिका सहित पेंशन संबंधी कागजातों की प्राप्ति तिथि से पेंशन भुगतान आदेश जारी करने हेतु लिया गया औसत समय	सभी संदर्भों में पूर्ण पेंशन कागजातों की प्राप्ति की तिथि से 30 कार्यकारी दिवस
2	पेंशन मामलों में संशोधन को अंतिम रूप देना	संबंधित डीडीओ से सेवा पुस्तिका सिहत पेंशन संबंधी कागजातों की प्राप्ति तिथि से पेंशन संशोधन मामलों को अंतिम रूप देने में लिया गया औसत समय	सभी संदर्भों में पूर्ण पेंशन कागजातों की प्राप्ति की तिथि से 45 कार्यकारी दिवस
	विवरण (पारिवारिक पेंशनरों का नाम आदि) में आवश्यक परिवर्तन के मामलों में पेंशन भुगतान आदेशों को पुन: प्राधिकार देना	संबंधित डीडीओ से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पेंशन भुगतान आदेशों के संशोधन हेतु लिया गया औसत समय	सभी पूर्ण मामलों में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 15 कार्य दिवस
4	अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेजों के लिए अनुरोध, यदि आवेदन अपूर्ण है।	आवेदन की प्राप्ति पर इसकी संवीक्षा हेतु लिया गया औसत समय	आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 कार्य दिवस
5	शिकायतों पर ध्यान देना	शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण संबंधित कार्यालयों के ऑनलाइन शिकायत समाधान प्रणाली के	शिकायत (ऑनलाइन तथा ऑफ लाइन दोनों) की प्राप्ति की

माध्यम से किया जा सकता है।	तारीख से 30 कार्य
शिकायतों का ऑफलाइन पंजीकरण	दिवस
संबन्धित कार्यालयों में शिकायत	
समाधान कक्ष और डाक के माध्यम	
किया जा सकता है।	

4. भविष्य निधि देय

क्र. सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने निष्पादन का मापन कैसे करते है	हमारी समय सीमाएं
1	अंतिम आहरण के लिए आदेशों को जारी करना	संबंधित डीडीओ से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से अंतिम आहरण के लिए आदेशों को जारी करने हेतु लिया गया औसत समय	सभी पूर्ण मामलों में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 20 कार्य दिवस
2	जीपीएफ अभिदाताओं को वार्षिक विवरण जारी करना	प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक जीपीएफ विवरण जारी करना	राज्य की लेखें प्रस्तुतिकरण इकाइयों से पूरी जानकारी/ अनुसूची की प्राप्ति पर अनुगामी वितीय वर्ष 31 जुलाई की समाप्ति पर
3	अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेजों के लिए अनुरोध, यदि आवेदन अपूर्ण है	आवेदन की प्राप्ति पर इसकी संवीक्षा हेतु लिया गया औसत समय	आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 कार्य दिवस

4	शिकायतों	पर	शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण	शिकायत (ऑनलाइन
	ध्यान देना		संबंधित महालेखाकार कार्यालयों के	तथा ऑफ लाइन
			ऑनलाइन शिकायत समाधान	दोनों) की प्राप्ति की
			प्रणाली के माध्यम से किया जा	तारीख से 30 कार्य
			सकता है। शिकायतों का ऑफलाइन	दिवस
			पंजीकरण महालेखाकार कार्यालयों	
			में शिकायत समाधान कक्ष और	
			डाक के माध्यम किया जा सकता	
			है।	

5. राजपत्रित हकदारी कार्य

क्र. सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने निष्पादन का मापन कैसे करते है	हमारी समय सीमाएं
1	वेतन पर्ची जारी करना	संबंधित डीडीओ से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से वेतन पर्ची जारी करने हेतु लिया गया औसत समय	आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 20 कार्य दिवस
2	सेवा शीट्स का इतिहास जारी करना	संबंधित डीडीओ से आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सेवा शीट्स का इतिहास जारी करने हेतु लिया गया औसत समय	आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 कार्य दिवस
3	अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेजों के लिए अनुरोध, यदि आवेदन अपूर्ण है	आवेदन की प्राप्ति पर इसकी संवीक्षा हेतु लिया गया औसत समय	आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 कार्य दिवस

4	शिकायतों पर ध्यान	शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण	शिकायत की
	देना	संबंधित महालेखाकार कार्यालयों के	प्राप्ति की तारीख
		ऑनलाइन शिकायत समाधान	से 30 कार्य दिवस
		प्रणाली के माध्यम से किया जा	
		सकता है। शिकायतों का ऑफलाइन	
		पंजीकरण महालेखाकार कार्यालयों	
		में शिकायत समाधान कक्ष और	
		डाक के माध्यम किया जा सकता	
		है।	
		है।	

शिकायत समाधान (मद 1, 2 एवं 3): किसी भी प्रकार की हकदारी संबंधित शिकायत के लिए राज्य-वार शिकायत समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए सीएजी की वेबसाइट https://cag.gov.in/content/entitlement पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। यदि प्रतिक्रिया मिलने या प्रतिक्रिया न मिलने से असंतुष्ट है तो अभिदाता संबंधित महालेखाकार के कार्यालय के उप महालेखाकार (फंड / पेंशन) से संपर्क कर सकते है। आगे समाधान के लिए, अभिदाता सीएजी के कार्यालय में विरष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (शिकायत) को grstate2@cag.gov.in ईमेल पर भेज सकते है।

6. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन

क्र. सं.	हमारी सेवाएं	हम अपने निष्पादन का मापन कैसे करते है	हमारी समय सीमाएं
1	भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन	विभाग के कार्यचालन और महत्वपूर्ण गतिविधियों का विहंगावलोकन देते हुए एक निष्पादन प्रतिवेदन हमारे पणधारियों के लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है, जिसमें विधायक, कार्यकारी, शैक्षणिक समुदाय और जन प्रतिनिधि शामिल है।	·

यदि समय सीमा के अनुसार सेवा प्रदान नहीं की जाती है:

1. सुश्री विधु सूद, प्रधान निदेशक (एसएमयू), सीएजी का कार्यालय, 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124, फोन 23236827, dgsmu@cag.gov.in को सूचना दें / लिखें।

2. सीएजी के कार्यालय, नई दिल्ली की नीतिगत प्रबंधन इकाई को sao1smu@cag.gov.in पर

ईमेल भेजें।

नामित है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार/ महानिदेशक लेखापरीक्षा/ प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा/ निदेशक लेखापरीक्षा के प्रत्येक कार्यालय में वरिष्ठ उप महालेखाकार/ उप महालेखाकार/ निदेशक/ उप निदेशक, प्रशासन प्रभारी, जो पीआईओ के रूप में नामित स्वतंत्र लोक प्राधिकारी के तौर पर कार्यरत है और महानिदेशक/ प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार/ प्रधान निदेशक के रैंक में इन कार्यालयों में कार्यालयाध्यक्ष आरटीआई अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में

अधिक जानकारी/ स्पष्टीकरण के लिए सम्पर्क करे:

सुश्री ए. फणि राव, उप निदेशक (विधिक) एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (मुख्यालय) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110124

फोन: 91-11-23509222 फैक्स: 91-11-23239335 ईमेल: raof@cag.gov.in

सिटिजन चार्टर के मसौदे पर टिप्पणीयाँ या सुझाव कृपया

dgsmu@cag.gov.in

एंव

sao1smu@cag.gov.in को भेजें

7